

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

- 1.अपील संख्या 1336 / 2013 / जयपुर
- 2.अपील संख्या 1337 / 2013 / जयपुर
- 3.अपील संख्या 1338 / 2013 / जयपुर
- 4.अपील संख्या 1339 / 2013 / जयपुर
- 5.अपील संख्या 1340 / 2013 / जयपुर
- 6.अपील संख्या 1341 / 2013 / जयपुर

मैसर्स कम्यूएज इन्फोकॉम लिमिटेड.  
जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

**खण्डपीठ**  
**श्री खेमराज, अध्यक्ष**  
**श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,  
उप राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.06.2017

**निर्णय**

अपीलार्थी द्वारा उपर्युक्त सभी अपीलें उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 356 से 361 / अपील्स-प्रथम / आरवीएटी / 2012-13 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 10.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.12.2012 को पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों आरोपित की है, में से कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है :-

अ.सं.	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	कुल योग
1336 / 13	2007-08	43236 / -	26806 / -	86472 / -	156514 / -
1337 / 13	2008-09	69129 / -	34565 / -	138258 / -	241952 / -
1338 / 13	2009-10	15965 / -	6067 / -	31930 / -	53962 / -
1339 / 13	2010-11	440037 / -	114410 / -	880074 / -	1434520 / -
1340 / 13	2011-12	211812 / -	29654 / -	423624 / -	665090 / -
1341 / 13	2012-13	166996 / -	13360 / -	333992 / -	514348 / -

चूंकि चारों अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित है, इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ चारों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जा

रही हैं।

लगातार.....2



प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण विभागीय जांच दल द्वारा दिनांक 17.10.2012 को किया गया, जिस पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में Lan Connection Cable (CAT-5, CAT-6) आदि का क्रय विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय पर आलोच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है जबकि सशक्त अधिकारी ने उक्त बिक्रीत वस्तु पर अधिनियम की अनुसूची पंचम के अन्तर्गत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर देयता मानकर 8.5/9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया तथा आरोपित कर अदत्त रहने के कारण ब्याज आरोपित किया। अपीलार्थी द्वारा करापंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियों का आरोपण उपर्युक्त तालिका के अनुसार किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्रकार से आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित कर, ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यथावत रखे गये कर एवं ब्याज को इन अपीलों में विवादित किया गया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत Lan Connection Cable (CAT-5, CAT-6) आई टी प्रोडक्ट है तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग में प्रयुक्त होती है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा केवल आईटी प्रोडक्ट का विक्रय किया जाता है जो लेन केबल कम्प्यूटर सिस्टम का पार्ट है। उनका यह भी कथन है कि यह कम्प्यूटर सिस्टम का आवश्यक पार्ट है जिसके बिना कम्प्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम चल नहीं सकता। उनका कथन है कि बिक्री माल कम्प्यूटर की पैरीफेरल्स (Peripheral) है जो अधिनियम की अनुसूची के पार्ट-ए की प्रविष्टि 3 से आच्छादित है। उक्त कथन के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त कर प्रस्तुत अपीलों स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि Lan Connection Cable (CAT-5, CAT-6) का कम्प्यूटर के संचालन अथवा बिजली सप्लाई से कोई सम्बन्ध नहीं होता है और Lan Connection Cable (CAT-5, CAT-6) अपने आप में एक पृथक वस्तु है और इसके बिना कम्प्यूटर सिस्टम का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपीलों अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण विभागीय जांच दल द्वारा दिनांक 17.10.2012 को किया गया, जिस पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में Lan Connection Cable (CAT-5, CAT-6) आदि का क्रय विक्रय किया गया है। Lan Connection Cable (CAT-5, CAT-6) का कम्प्यूटर के संचालन अथवा बिजली सप्लाई से कोई सम्बन्ध नहीं होता है और Lan Connection Cable (CAT-5, CAT-6) अपने आप में एक पृथक वस्तु है और इसके बिना कम्प्यूटर सिस्टम का कार्य किया जा सकता है। अधिनियम की अनुसूची के पार्ट-ए की प्रविष्टि 3 निम्न प्रकार है :-



Part-A

(See S- No.65 of Schedule IV)

GOODS UNDER CATEGORY OF IT PRODUCT

S.No.	Description	Rate of tax %
3	Computer system and peripherals (computer printers excluding multifunctional devices)& electronic diaries)	5

उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची के पार्ट-ए की प्रविष्टि 3 के अवलोकन से स्पष्ट कि Lan Connection Cable (CAT-5, CAT-6) का कम्प्यूटर के संचालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती है बल्कि केता व्यवहारियों द्वारा सुविधा बढ़ाने हेतु ही इन वस्तुओं का क्रय किया जाता है अतः इसे कम्प्यूटर की एसेसरीज या कम्प्यूटर की पैरीफेरल्स (Peripherals) की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त बिक्री वस्तु कम्प्यूटर का भाग (Part) नहीं है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कम्प्यूटर पेरीफेरल्स का अर्थ निम्न प्रकार है:-

"The term "peripheral" has been defined in Oxford dictionary to mean as under :-  
(of device)able to be attached to and used with computer,though not an integral part of it"

"Scanners, printers and speakers are peripheral devices for a computer because they aren't central to the working of the computer itself. Anything peripheral is on the margin, or outside, while main things, like a computer's processor, are not peripheral"

डिक्शनरी के अर्थ के अनुसार भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु कम्प्यूटर का भाग (Part) नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(11)/एफडी/टैक्स/ 2013-111 दिनांक 06.03.2013 से प्रभावी कर जोड़ी गई, जिसके अनुसार व्यवसायी द्वारा बिक्रीत वस्तु पर 4 प्रतिशत कर देयता निर्धारित की गई। इससे स्पष्ट है कि 06.03.2013 से पूर्व उक्त वस्तु 12 प्रतिशत से कर योग्य थी। उक्त अधिसूचना का उल्लेख अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का तर्क अस्वीकार करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नजर नहीं आती है।

फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2013 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य

(खेमराज)  
अध्यक्ष